प्रबंध पद्धति प्रमाणन विभाग

हमारा संदर्भ : एमएससीडी/2:1 10.7.2018

विषय : बीआईएस (अनुरूपता आकलन)विनियम 2018 – प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना के लिए प्रावधान ।

1. बीआईएस (अनुरुपता) आकलन विनियम 2018 के अंतर्गत बीआईएस अधिनियम 2017 के नए प्रावधान 04 जून 2018 को राजपत्रित कर दिए गए है, जिसे ब्यूरो सचिवालय द्वारा परिचालित किया जा चुका है।
2. बीआईएस द्वारा संचालित प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना अब बीआईएस अधिनियम 2016, बीआईएस नियम 2017 और बीआईएस (अनुरूपता आकलन) विनियम 2018 में निर्दिष्ट प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है।
3. प्रावधान की कुछ ध्यान दिए जाने योगय कुछ प्रमुख विशेषताएं, विशेषकर बीआईएस (अनुरुपता आकलन) विनियम 2018 की योजना III के अंतर्गत लागू शुल्क के प्रावधान और फार्म के संदर्भ में, नीचे सूचीबद्ध है :

i) अब संगठन में केवल 3 श्रेणियां है :

आवेदन शुल्क*

क) बड़े औद्योगिक उद्यम – रु. 15,000/-

ख) मध्यम, सूक्ष्म और लघु - रु. 7,000/-

ग) केन्द्र/राज्य सरकार संगठन :

i) 100 कर्मचारियों तक – रु. 7,000/-

ii) 100 कर्मचारियों से अधिक – रु. 15,000/-

ii) स्तर 1 के लेखापरीक्षा के लिए प्रति श्रमदिवस रु. 12,000/- प्रभारित किया जाएगा।

iii) तीन वर्ष के लिए लाइसेंस/पुनर्प्रमाणन शुल्क

क) बड़े औद्योगिक उद्यम – रु. 60,000/-

ख) मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्यम - रु. 30,000/-

iv) शुल्क में लचीलापन – ब्यूरो द्वारा लाइसेंस या अनुरूपता प्रमाणपत्र के शुल्क में 50% तक की छूट दी जा सकती है।

v) पहले लाइसेंस के प्रत्येक अनुवर्ती पद्धति प्रमाणन लाइसेंस के लिए, बड़े स्तर की इकाई के लिए आवेदन शुल्क 7000/- होगा।

vi) ब्यूरो (उत्पाद प्रमाणन सहित)की अन्य अनुरूपता आकलन योजना के लाइसेंस धारकों और अनुवर्ती लाइसेंसों के लाइसेंस शुल्क में 20% की छूट होगी।

vii) प्रमाणन और पुनर्प्रमाणन के लिए आवेदन पत्र में परिवर्तन किया गया है(कृपया विनियम की योजना III के प्रपत्र I और प्रपत्र II देखें)।

viii) लाइसेंस दस्तावेजों में परिवर्तन किया गया है (कृपया विनियम की योजना III के प्रपत्र III और प्रपत्र IV देखें)।

सभी एमएससीओएस से अनुरोध है कि वह बीआईएस (अनुरूपता आकलन) नियम 2018 के प्रावधानों को जान लें और उसका पालन करें। लागू बकाया एकत्रित किया जाएगा। एमएससीडी ने सभी

पुनरीक्षित प्रपत्रों को इंटत्रानेट पर भी अपलोड कर दिया है और मानक ऑनलाइन पर लाइसेंस प्रदान करने और पुनर्प्रमाणन के पत्र, पुनरीक्षित लाइसेंस दस्तावेज को शामिल करने के प्रयास किया जा रहे हैं।

(यू.एस.पी यादव)
वैज्ञा. एफ और प्रमुख (एमएससीडी)

उपमहानिदेशक (एमएससीडी)

सभी डीडीजीआर और एससीओआरएस

MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION DEPARMTENT

Our Ref: MSCD/2:1 10 July 2018

Subject: BIS (Conformity Assessment) Regulations 2018 – Provisions for Management Systems Certification Scheme

1. BIS (Conformity) Assessment Regulations 2018 under new provision of BIS Act 2016 have been gazetted w.e.f.04 June 2018 as already circulated by Bureau Sectt.
2. Management Systems Certification Scheme being operated by BIS is now governed by the provisions specified in BIS Act 2016, BIS Rules 2017 and BIS (Conformity Assessment) Regulations 2018.
3. Some of the salient provisions to be taken note of specifically with respect to provision of fee applicable and forms under Scheme III of BIS (Conformity Assessment) Regulations 2018 are listed below:

i) Now there are only 3 categories of organization:

Application Fee*

(a) Large Industrial Enterprises- Rs.15, 000/-
(b) Medium, Micro and small Industrial Enterprises- Rs. 7,000/-
(c) Central/State Govt. Organisations:
(i) upto 100 employees: Rs. 7,000/-
(ii) above 100 employees: Rs. 15,000/-

ii) Rs. 12,000/- per manday shall be chargeable for Stage 1 audit also

iii) Licence/re-certification fee for three years
(a) Large Enterprises - Rs. 60,000/-
(b) Medium, Micro and Small Enterprises - Rs. 30,000/-

iv) Flexibility in Fee - Discount of up to 50% in Licence or certificate of conformity Fee can be given by the Bureau.

v) For each subsequent systems certification licence to first licence, the application fee shall be Rs. 7000/- for large scale units.

vi) 20% discount in licence fee for subsequent Licences and licence holders of other Conformity Assessment Scheme of the Bureau (including product certification).

vii) Application Form for certification and Recertification has also been changed (please see Form I & Form II of the Scheme III of Regulation).

viii) Licence document has also been changed (please see Form III & Form IV of the Scheme III of Regulation).

All the MSCOs are requested to get themselves acquainted with the provisions of BIS (Conformity Assessment) Regulations 2018 and follow the same. Arrears applicable to be collected. MSCD also uploaded all revised formats in intranet and efforts are being put to incorporate revised licence document, grant of licence and re-certification letters on manakonline.

(U.S.P.Yadav)
Sc. F & Head (MSCD)

DDG (MSCD)

To

All DDGRs & MSCORs